

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:आदेश:—

राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक No.F.(2) FD (Rules) 06 Part-1 Jaipur dated: 11 June 14 एवं 07-08-14 की पालना में निम्नलिखित व्याख्याता (प्रोबेशनर-ट्रेनी) का चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार अवैतनिक अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	नाम व्याख्याता पदस्थापन स्थान	विषय	लिये गये अवकाश	दिनों की संख्या	प्रकार
1	सुश्री विमला राउमावि चौहटन, बाडमेर	अर्थशास्त्र	11.01.16 से 09.02.16 11.07.16 से 06.08.16	30 दिन 27 दिन	अवैतनिक अवकाश
योग			57		
2	वर्षा भाटिया राउमावि भूपालसागर, चित्तौड़गढ़	अर्थशास्त्र	23.07.15 से 01.08.15 18.11.15 से 27.11.15 04.07.16 से 06.07.16	10 दिन 10 दिन 03 दिन	अवैतनिक अवकाश
योग			23		
3	सुश्री प्रियंका चौहान राउमावि झाडोल (फ) उदयपुर	भूगोल	02.12.15 से 05.12.15 08.12.15 से 17.12.15 12.01.16 से 21.01.16 25.01.16 से 16.02.16 30.03.16 से 06.04.16 20.04.16 से 24.04.16 01.07.16 04.07.16 13.07.16 से 15.07.16 18.07.16 से 29.07.16 01.08.16 से 13.08.16	04 दिन 10 दिन 10 दिन 23 दिन 08 दिन 05 दिन 01 दिन 01 दिन 03 दिन 12 दिन 13 दिन	अवैतनिक अवकाश
योग			90		

वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक 07.08.14 के अनुसार 30 दिवस के अतिरिक्त लिए गये असाधारण अवकाश के कारण परिवीक्षाकाल अवधि में वृद्धि होगी।


(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 22.11.17

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-5/अवकाश/17

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु:-

1. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित उपनिदेशक (माध्य)
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य)
4. संबंधित कार्मिक/प्रधाना
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग
6. गार्ड फंजिका


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर